

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक, सी-5-2/2018/1-3

भोपाल, दिनांक 22.07.2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय:-संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किये जाने हेतु नीति-निर्देश।

उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक,सी-5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05जून, 2018 की कंडिका 1.14.5 निम्नानुसार है :-

“संविदा कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक, समकक्ष नियमित पदों के वेतमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत निर्धारित किया जाए।”

2/ यह संज्ञान में आया है कि उपर्युक्त अनुसार पारिश्रमिक निर्धारण में कतिपय विभाग एवं उनकी अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा समकक्ष पदों के वेतनमान अनुसार निर्धारण को समग्रता से विचार में नहीं लेते हुए पारिश्रमिक का निर्धारण वित्त विभाग से सहमति प्राप्त किये बिना किया गया है जिससे विसंगतियों की स्थिति बनी है।

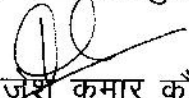
3- अनुरोध है कि संविदा पर मासिक पारिश्रमिक के सही निर्धारण के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाए :-

(अ) संविदा पारिश्रमिक का निर्धारण करने के पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाए।

(ब) यदि किसी विभाग या उसकी अधीनस्थ संस्था (निगम मण्डल आदि) द्वारा कंडिका 1.14.5 के अनुसार पारिश्रमिक निर्धारण वित्त विभाग की सहमति कि बिना किया गया है, तब वित्त विभाग से अनुमोदन आगामी एक माह के अंदर प्राप्त किया जाए।

4/ कृपया उपर्युक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार


(राजेश कुमार कौल)
अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांक क, सी-5-2/2018/1-3

भोपाल, दिनांक 22.07.2020

प्रतिलिपि:-

- (1) राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
- (2) महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल
- (3) रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर
- (4) प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय मध्य प्रदेश
- (5) मान. मंत्री/राज्य मंत्री के निज सचिव/निज सहायक, म0प्र0
- (6) महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, भोपाल
- (7) अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
- (8) अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल
- (9) प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, (स्थापना/अधीक्षण), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,
- (10) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
- (11) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल
- (12) सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल
- (13) सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल
- (14) सचिव, लोक लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर
- (15) सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, भोपाल
- (16) सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल
- (17) मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल
- (18) महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर
- (19) आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश
- (20) समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
- (21) मुख्य लेखाधिकारी, मध्य प्रदेश मंत्रालय

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग